[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 21st August, 2018

G.S.R. (E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section (1), sub-section (4), clause () of sub-section (6) of section 149, sub-section (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 of and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014,

   (i) in the proviso to rule 12A, for the words and numbers "DIR-3 KYC on or before 31st August, 2018, the words and numbers "DIR-3 KYC on or before 15th September, 2018 " shall be substituted.

   (ii) in the Annexure, for Form No.DIR-3 KYC, the following Form shall be substituted:-

FORM NO.DIR-3-KYC

[Pursuant to rule 12A of The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

KYC of Directors

Form Language O English O Hindi

Note-

- All fields marked in * are mandatory fields
- In case of Indian nationals, Income-tax Permanent Account Number (Income-tax PAN) is mandatory in all cases even if there is no change in Income-tax PAN. In such cases, director details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, director/designated partner is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details.

1. (a) *Director Identification Number(DIN) Pre-fill

(b) Name

2. * Director's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

3. *Father's Name (Even married women must give father's name)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

4. * Whether a citizen of India O Yes O No

5. * Nationality

6. * Whether resident in India O Yes O No

7. *Date of birth (DD/MM/YYYY)

8. *Gender O Male O Female O Transgender

9. Income tax PAN Verify Income-tax PAN

10. Do you have Aadhaar O Yes O No

Aadhaar number

11.Voter's Identity card number

12. *Do You have a valid passport O Yes O No

#Passport number

13. Driving license number

14. * Personal Mobile Number Country Code Mobile Number Send OTP

15. * Personal Email ID

16. *Enter OTP for Mobile Number Verify OTP

17. *Enter OTP for Email ID

18.Permanent residential address

Do you have a permanent address outside India O Yes O No

* Line I

Line II

* City

*State *Pin code

ISO country code Phone Fax

*Country

19.Whether present residential address is same as permanent residential address O Yes O No

20. Present residential address

*Line I

Line II

* City

*State *Pin code

ISO country code Phone Fax

*Country

Attachments:

List of Attachments

1. * Proof of permanent address — Attach
2. Copy of Aadhaar Card — Attach
3. Copy of Passport — Attach
4. Proof of present address — Attach
5. Optional attachments, if any — Attach

Remove attachment

Verification

I, hereby confirm and verify that the particulars given in the Form herein above are true and also are in agreement with the documents being attached to this form.

(i) The documents being attached to the Form DIR-3KYC belong to me. I further confirm that all required documents have been duly issued by the respective government authority and are being attached to the Form DIR-3 KYC and

(ii) I further confirm that the Mobile No and email ID belong personally to me and

(iii) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and

(iv) I have no other allotted DIN other than DIN in which changes are intimated under section 154 of the Companies Act,2013 or a Designated Partner Identification Number under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

(v) I shall be liable under section 448 of the Act and under relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found to be false or any material fact is found to be have been omitted.

***To be digitally signed by Applicant** DSC

Certification

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification/verification of this form. It is hereby certified that:

* I have satisfied myself about the identity of the applicant and his address based on the perusal of the original of the attached document.
Note: In case where the applicant is residing outside India the particulars have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as prescribed.

* I have verified and attested the documents of the applicant based on the Originals documents produced before me.

* All required attachments have been completely attached to this application

* I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

*I further certify that:

- * Mobile No and email ID belong to the applicant / Director signing the form.
- * All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
- *I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for further reference.
- *It is understood that I shall be liable for action under section 448 of The Companies Act, 2013 for wrong certifications, if any found at any stage.

*To be digitally signed by DSC Box

*Category

*Whether Associate or Fellow ○ Associate ○ Fellow

*Membership Number

*Certificate of Practice Number

Modify Check Form Prescrutiny Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This e-Form has been taken on file maintained by the register of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional.

F.No. 01/22/2013 CL-V (Pt-III)]

21/8/18

(K.V.R.Murty), Joint Secretary.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 259(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 671 (E)	18.09.2014
2.	G.S.R. 42(E)	19.01.2015
3.	G.S.R. 839 (E)	05.07.2017
4.	G.S.R.51(E)	22.01.2018
5.	G.S.R.431 (E)	07.05.2018
6.	G.S.R. 558(E)	12.06.2018
7.	G.S.R. 615 (E)	05.07.2018

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. _____(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1), उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) पांचवां संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में,

(i) नियम 12क के परंतुक में, "तारीख 31 अगस्त, 2018 तक या उससे पहले डीआईआर-3-केवाईसी" शब्दों और संख्याओं के लिए "तारीख 1 सितंबर, 2018 या उससे पहले डीआईआर-3-केवाईसी" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी।

(ii) अनुलग्नक में प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी के लिए निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी [कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 12क के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	निदेशकों की केवाईसी

प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी

टिप्पण -

- *चिन्हित सभी फील्ड भरनी अनिवार्य हैं

- यदि भारतीय नागरिक हैं तो सभी मामलों में आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) अनिवार्य है चाहे आयकर पैन में कोई परिवर्तन न हुआ हो। ऐसे मामलों में निदेशकों का विवरण आयकर पैन के अनुसार होना चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण सही न हो तो निदेशक/पदनामित भागीदार को पहले अपने आयकर पैन के विवरण सही करने का परामर्श दिया जाता है। कृपया विवरण के लिए निर्देश किट देखें।

1. (क) *निदेशक पहचान संख्या _____ (पहले से भरा हुआ)
   (ख) नाम _____

2. *निदेशक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

   (क) प्रथम नाम _____
   (ख) उपनाम _____
   (ग) मध्य नाम _____

3. *पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम भरें)
   प्रथम नाम _____
   उपनाम _____
   मध्य नाम _____

4. *क्या भारतीय नागरिक है O हां O नहीं

5. राष्ट्रीयता _____

6. *क्या भारत के निवासी है O हां O नहीं

7. *जन्म की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

8. *लिंग पुरूष O स्त्री O ट्रांसजेंडर O

9. आयकर स्थायी खाता संख्या _____ [आयकर पैन को सत्यापित करें]

10. क्या आपके पास आधार है O हां O नहीं

आधार संख्या _____

11. मतदाता पहचान पत्र संख्या _____

12. क्या आपके पास पासपोर्ट है O हां O नहीं
#पासपोर्ट संख्या _____

13. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या _____

14. *व्यक्तिगत मोबाइल नं. _____ [राष्ट्र कोड] [मोबाइल नं.] ओटीपी भेजें

15. *व्यक्तिगत ई-मेल _____

16. *मोबाइल नंबर के लिए ओटीपी दर्ज करें _____ ओटीपी सत्यापित करें

17. *ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें _____

18. स्थायी आवासीय पता

क्या भारत से बाहर स्थायी पता है O हां O नहीं
*पंक्ति I _____

पंक्ति II _____

*नगर _____

*राज्य _____ *पिन कोड

*आईएसओ कंट्री कोड _____ *दूरभाष _____ फैक्स_____

*देश _____

19. *क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता एक ही है हां O नहीं O

20. **वर्तमान आवासीय पता**

*पंक्ति I _____

पंक्ति II _____

*नगर _____

*राज्य _____ *पिन कोड _____

आईएसओ कंट्री कोड _____ दूरभाष _____ फैक्स _____

देश _____

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1.	*स्थायी पते का प्रमाण	**(संलग्न करें)**
2.	आधार कार्ड की प्रति	**(संलग्न करें)**
3.	पासपोर्ट की प्रति	**(संलग्न करें)**
4.	वर्तमान पते का सबूत	**(संलग्न करें)**
5.	वैकल्पिक संलग्नक- यदि कोई हों	**(संलग्न करें)**

(संलग्नक हटाएं)

<u>सत्यापन</u>

मैं पुष्टि और सत्यापन करता/करती हूं कि इस प्ररूप में दिए गए सभी विवरण सही है और इससे संलग्न किए जा रहे दस्तावेजों के अनुरूप हैं।

(i) प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न किए जा रहे दस्तावेज मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि सभी अपेक्षित दस्तावेज संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किए गए हैं और उक्त प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न किए जा रहे हैं और

(ii) मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि मेरा मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी व्यक्तिगत हैं।

(iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी करार नहीं किया गया है,

(iv) मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन पहले कोई निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के अधीन कोई पद नामित भागीदार पहचान संख्या आबंटित नहीं की गई है,

(v) यदि इस आवेदन में दिया गया कोई विवरण मिथ्या पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण सूचना का लोप किया पाया जाता है तो मुझे इस अधिनियम की धारा 448 और भारतीय दंड संहिता 1860 के संबंधित प्रावधानों के अधीन और यथा लागू किसी अन्य कानून के अधीन दंड दिया जा सकता है।

*आवेदक द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर हेतु

प्रमाणन

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन/सत्यापन के प्रयोजन हेतु सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है। मैं यह प्रमाणित करता हूं कि :-

☐ *मै घोषणा करता हूं कि मैंने संलग्न दस्तावेज की मूल प्रति के अवलोकन के आधार पर आवेदक की पहचान के बारें में समाधान कर लिया है।

टिप्पणः आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में ब्यौरे यथाविहित सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित दस्तावेजों से किया जाना है।

☐ *मैंने प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन और साक्ष्यांकन कर लिया है।

☐ *इस आवेदन के साथ संलग्न सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण हैं।

☐ *मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ा है तथा मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों से उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक सहित) का सत्यापन कर लिया है जो कि इस प्ररूप की विषयवस्तु है और इन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपायी नहीं गई है।

☐ *मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :-

- *मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक/निदेशक के हैं।
- *सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और पठनीय रूप से संलग्न किये गए हैं।
- *मैंने आगामी संदर्भ के लिए अपने अभिलेखों में इस प्ररूप और इसके संलग्नकों की एक प्रतिलिपि रख ली है।
- *यह ज्ञात है कि यदि कभी भी कोई प्रमाणन मिथ्या पाया गया तो मेरे विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

***अंकीय हस्ताक्षर करने के लिए** _____ _____

*श्रेणी

* एसोसिएट हैं या फेलो O एसोसिएट O फेलो

*सदस्यता संख्या _____

*प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र _____

संशोधित करें फॉर्म चेक करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत

टिप्पणः धारा 448 और 449 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या विवरण/प्रमाण-पत्र और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु

ई-फार्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) _____ ई-फार्म जमा करने की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है _____ (दिन/मास/वर्ष)

इस ई-प्ररूप को अस्वीकृत किया जाता है _____ **(जमा करने की पुष्टि करें)**

हस्ताक्षर की तारीख _____

या

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक रीति से एवं निदेशक और व्यवसायिक द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में रख दिया गया है।"

के.वी.आर मूर्ति
21/8/18

(के.वी.आर मूर्ति)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि.259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 671(अ)	18.09.2014
2.	सा.का.नि. 42(अ)	19.01.2015
3.	सा.का.नि. 839(अ)	05.07.2017
4.	सा.का.नि. 51(अ)	22.01.2018
5.	सा.का.नि. 431(अ)	07.05.2018
6.	सा.का.नि. 558(अ)	12.06.2018
7.	सा.का.नि. 615(अ)	05.07.2018